न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 87/2025

UPRN180016902025

अखिलेश कुमार आदि बनाम सर्वेश कुमार

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं० 6 ग 2

दिनांक – 17/07/2025

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 6 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० मय शपथ पत्र 7 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रश्नगत बयनामा दिनांकित 17/07/2021 जो वादीगण द्वारा गाटा सं० 10 अ क्षेत्रफल 0.9300 हे० में से रकबा 0.0531 हे० का विक्रय पत्र बतौर विनिमय प्रतिवादी के हक में तहरीर किया, काननून निष्प्रभावी है और इसके कायम रहने से वादीगण के हक में भविष्य में अवरोधन उत्पन्न होने की संभावना है तथा प्रतिवादी वादीगण द्वारा निष्पादित प्रश्नगत बयनामा की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर सकता है और इस आशय से उसने दिनांक 22/05/2025 को धमकी भी दी। वादीगण द्वारा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी को गाटा सं० 10 अ रकबा 0.9300 हे० में से रकबा 0.0531 हे० में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने तथा जबरिया बेदखल व विवादित भूमि का किसी अन्य के पक्ष में किसी प्रकार का हस्तान्तरण न करने की याचना की गयी है।

वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मय सूची 9 ग, बयनामा दिनांकित 17/07/2021 की सत्यप्रतिलिपि कागज सं० 10 ग 1/1 लगायत 8, खतौनी कागज सं० 12 ग 1/1 लगायत 2, न्यायालय अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर में दाखिल वाद संद० 907/2024 अखिलेश कुमार आदि बनाम उ०प्र०सरकार आदि में पारित आदेश दिनांकित 29/04/2025 की सत्य प्रतिलिपि कागज सं० 13 ग 1/1 लगायत 2 प्रस्तुत किये गये हैं।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि के स्वामी वादीगण हैं। वादीगण द्वारा निष्पादित बयनामा में गाटा सं० व चौहद्दी गलत अंकित हो गयी थी, जिसके संशोधन के लिए वादीगण द्वारा न्यायालय अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर में वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संशोधन हेतु आदेश हुआ था। उक्त आदेश के विरुद्ध कोई निगरानी अथवा अपील किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। यदि प्रतिवादी को इस स्तर पर कब्जा करने व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने से नहीं रोका गया तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिससे उनका वाद योजित करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों को

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2025.07.17 15:28:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में उभय पक्ष को विवादित सम्पत्ति पर कब्जे के बावत यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

1. उभय पक्ष विवादित आराजी के बावत अग्रिम दिनांक तक **यथास्थिति** बनाए रखें।

2. उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य पक्ष को हस्तान्तरित न करें।

3. उपरोक्त आदेश विवादित आराजी बावत पूर्व में पारित किये गये किसी भी न्यायालय के आदेश पर प्रभावी नहीं होगा।

4. अग्रिम दिनांक पर यदि वादीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर बहस टाली गयी तो उपरोक्त आदेश **स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।**

5. यदि वादीगण द्वारा कोई भी तथ्य छिपाये गये तो उक्त आदेश **स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।**

6. वादीगण आदेश 39 नियम 3 ए सी०पी०सी० की पैरवी अविलम्ब करे।

पत्रावली वास्ते 6 ग 2 अग्रिम दिनांक 14/08/2025 को पेश हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562